न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2802—एक/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 28—07—2016 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 205/अपील/2014—15.

.....

कृष्ण प्रसाद पुत्र ठाकुरदीन ब्राम्हण
निवासी लहार तहसील लहार
जिला भिण्ड म0प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

1—प्रमोद कुमार पुत्र रामधनी
2—अनिल कुमार पुत्र रामधनी
निवासी लहार तहसील लहार
जिला भिण्ड म0प्र0 —— असल अनावेदकगण

3—वासुदेव पुत्र मूंगाराम
4—भगवती प्रसाद
5—महेश प्रसाद पुत्रगण उमाशंकर
निवासी मोहल्ला बरूअनपुरा
तहसील लहार जिला भिण्ड म0प्र0
6—रामकिशोर पुत्र ठाकुरदीन
निवासी ग्राम तहसील लहार
जिला भिण्ड म0प्र0
7—गिरजा शंकर पुत्र ठाकुरदीन ब्राहम्ण
निवासी लहार (फौत लावल्द)
8—रामसेवक 9—रामकरण
10—रामाज्ञा पुत्रगण कालीचरण बघेल
निवासी ग्रामसिकरी जागिर तहसील
मिहोना जिला भिण्ड म0प्र0 ——तरतीवी पक्षकार

.....

श्री आर0 डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0 के0 वाजपेयी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश
(आज दिनांक 25-9-2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–07–2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि कस्बा लहार में स्थित प्रश्नाधीन भूमि खाता कमांक 1348 कुल किता 7 कुल रकवा 2.990 है0 एवं खाता कमांक 1349 कुल किता 7 रकवा 3.261 है0 जिसके अभिलिखित भूमिस्वामी आवेदकगण एवं अनावेदकगण हैं। अनावेदक कमांक–3 वासुदेव पुत्र मूंगाराम के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा किये जाने बावत विचारण न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गयां विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 03/अ–27/98–99 पर दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 15.2.99 से प्रकरण में बटवारा आदेश पारित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा बटवारा आदेश दिनांक 15.2.99 से परिवेदित होकर आवेदक कृष्ण प्रसाद द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी लहार के न्यायालय में दिनांक 17.8.12 को प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत करने में हुये विलंब को क्षमा किये जाने बावत अवधि विधान की धारा –5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अनुविाागीय अधिकारी लहार द्वारा प्रकरण कमांक 110/अपील/2011–12 माल पर दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 25.4.15 से विचारण न्यायालय द्वारा पारित बटवारा आदेश दिनांक 15.2.99 निरस्त किया जाकर प्रकरण कार्यवाही में लिये जाने के आदेश पारित किये। इससे दुखित होकर अनावेदक कमांक–1, 2 द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 28.7.16 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई। इसी से दुखित होकर यह निगरानी आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण के अभिलेख से यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित होता है, कि तहसील न्यायालय में आवेदक पर सूचना पत्र का निर्वाह नहीं हुआ था । अपर आयुक्त ने भी ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला है, कि आवेदक पर सूचना पत्र का निर्वाह किया गया था। अपर आयुक्त ने सूचना पत्र के निर्वाह हेतु संहिता की अंकसूची–1 के अंतर्गत निर्मित नियामों का उल्लेख करते हुये यह टिप्पणी की है, कि आवेदक को भेजे गये सूचना पत्र को भाई व भतीजे द्वारा प्राप्त किया गया है। लेकिन अपर आयुक्त द्वारा यह विचार नहीं किया कि क्या सूचना पत्र का उक्त निर्वाह नियमानुसार है अथवा नहीं ? आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि तहसील अभिलेख में उपलब्ध जिस सूचना पत्र को अपर आयुक्त ने आधार बनाया है उक्त सूचना पत्र आवेदक एवं किशन नाम के व्यक्ति के लिये संयुक्त रूप से जारी किया गया था, उक्त सूचना पत्र के पृष्ठ भाग पर कहीं भी उल्लेख नहीं है कि उक्त सूचना पत्र किस व्यक्ति ने प्राप्त किया क्यों कि प्राप्तकर्ता का नाम तथा उसके पिता का नाम वर्णित नहीं है, इस कारण सूचना पत्र का निर्वाह आवेदक के लिये माना जाना पूर्णत अनुचित है। आवेदक अधिवक्ता का तर्क यह भी है कि यदि वह व्यक्ति जिसके लिये सूचना पत्र जारी किया गया है अपने निवास पर नहीं मिला है उस परिस्थिति में संहिता की अनुसूचि–1 के नियम–5 के अनुसार कुटुम्ब के उसी व्यक्ति पर निर्वाह किया जा सकता है जो उस व्यक्ति के साथ रहता हो, जिस पर सूचना पत्र का निर्वाह होना तहसील प्रकरण में उपलब्ध सूचना पत्र के पृष्ठ भाग पर ऐसी कोई टिप्पणी सूचना पत्र के निर्वाहकर्ता द्वारा नहीं की गयी है, कि सूचना पत्र का प्राप्तकर्ता व्यस्क है एवं आवेदक के साथ रहता है, ऐसे अभिलेख से स्पष्ट उक्त तथ्य के प्रकाश में अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष नियमानुकूल नहीं है एवं मनमाना है। अनुविभागीय अधिकारी लहार ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकाला था कि आवेदक पर सूचना पत्र का व्यक्तिश निर्वाह नहीं किया गया है तथा तहसील की आदेश पत्रिका में आवेदक के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करने का भी उल्लेख नहीं है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया है कि तहसील के अभिलेख से यह भी प्रमाणित है तथाकथित फर्द बटवारे का प्रकाशन किये बिना किया गया बंटवारा नियम एवं

प्रकिया के विपरीत है, तथाकथित फर्द पर आवेदक के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर भी नहीं है, इस बिन्दू पर भी अनुविभागीय अधिकारी ने जो निष्कर्ष निकाला था वह अभिलेख पर आधारित था । फर्द का प्रकाशन किये बिना किया गया बटवारा अवैध था जिसे स्थिर रखने में अपर आयुक्त ने गंभीर भूल की है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना का आदेश दिनांक 28.7.16 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि विचारण न्यायालय द्वारा समस्त प्रकियाओं का पालन करते हुये तथा एक दूसरे द्वारा उठाये गई आपत्तियों का निराकरण करते हुयेतथ मोजा पटवारी से विधि अनुसार फर्दे ली जाकर उनका प्रकाशन कराया जाकर अपने आदेश दिनांक 15.2.1999 से विधिवत् बटवारा आदेश पारित किया है जिसे अपर आयुक्त चंबल संभाग द्वारा स्थिर रखा हुआ है। उक्त बटवारा आदेश का अमल होकर प्रथक–प्रथक खाते कायम किये गये तदनुसार आवेदक तथा अनावेदक अपनी–अपनी भूमि पर कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं। अनावेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि आवेदक द्वारा अपनी भूमि बटवारे अनुसार विकय कर दी तथा अनावेदक की भूमि अधिक उपजाऊ हो जाने व उसका बाजरू मूल्य अधिक हो जाने के कारण आवेदक के मन में बदयान्ती आ जाने से लगभग 13–14 वर्ष पश्चात उक्त बटवारा आदेश के विरूद्व अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, अनुविभागीय अधिकारी लहार ने यह जानते हुये कि इनमें से कुछ सहखातेदार फौत हो चुके हैं, तथा तहसील न्यायालय के बटवारा प्रकरण में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, विधि प्रकिया के अनुसार बटवारा हुआ है, जिसे अपर आयुक्त द्वारा उचित होने से कायम रखा हुआ है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अपर आयुक्त का आदेश विधि प्रकिया से उचित है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त करने का अनुरोध किया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि तहसीलदार न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया जिसमें पृष्ठ कमांक 15 से 25 तक तामील संलग्न है, इनमें नियमानुसार किसी भी पक्षकार को निर्वाह नहीं हुई है, तथा इश्तहार की प्रति पृष्ठ 14 पर संलग्न है, उसमें किसी भी

पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है। इश्तहार की पीठ पर मात्र यह लेख किया गया है कि एक प्रति तहसील के बोर्ड पर चस्पा तथा एक प्रति नगर पालिका बोर्ड पर चस्पा किया, चस्पा करने वाले के हस्ताक्षर रघुवीर लेख किया गया है दोनों हस्ताक्षर में भिन्नता है। दिनांक 13.12.98 को जो तामील कराई गई है उसमें लेख किया गया है कि भतीजे द्वारा प्राप्त नाम स्पष्ट नहीं, इसी प्रकार दूसरी तामील दिनांक 12.12.98 को कराई गई उसमें लेख है कि प्रमोद कुमार बाहर गये है एक प्रति नोटिस की ममता चौधरी ने प्राप्त की है, तीसरी तामील दिनांक 12.12.98 को कमला देवी नि0 अगुष्ठ लगा हुआ है, इसी प्रकार दिनांक 12.12.98 को प्रमोद नाम काटकर वासुदेव शर्मा लेख किया गया है, इसी प्रकार 13.12.98 को नोटिस की प्रति प्राप्त की है नाम स्पष्ट नहीं। एक प्रति श्यामा देवी फौत लेख किया गया है, महाबीर द्वारा नोटिस प्राप्त किया गया है। अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में तामील निर्वाह के संबंध में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भाई भतीजे द्वारा तामील प्राप्त की गई है, इससे यह स्पष्ट है कि आवेदक को सूचना एवं साक्ष्य का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, और विचारण न्यायालय द्वारा बटवारा कर दिया गया है जो त्रुटिपूर्ण परिलक्षित होता है, यही निष्कर्ष अनुविभागीय अधिकारी लहार द्वारा निकाला गया है, उनके इस निष्कर्ष से मैं सहमत हूँ।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 205/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 28.7.16 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी लहार जिला भिण्ड के प्रकरण कमांक 110/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 25.4.15 स्थिर रखते हुये, आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाती है। प्रकरण इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी लहार को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुये म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 में बने प्रावधानों के अनुसार सहखातेदारों के मध्य बटवारे की कार्यवाही करें।

(एम0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर